प्रेस विज्ञप्ति
04.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा भूमि घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंडों में से एक रोहन हरमलकर को 03.06.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है, जो रोहन हरमलकर और अन्य से जुड़े भूमि घोटाले मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। उन्हें 04.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने आरोपी को 18.06.2025 (14 दिन) तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा रोहन हरमलकर और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम से सही संपत्ति मालिकों को धोखा देने के आरोप शामिल हैं, जिसमें प्रतिरूपण, नकली दस्तावेज बनाना, राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना आदि शामिल हैं। ये संपत्तियां – मूल रूप से व्यक्तियों और पारिवारिक सम्पदाओं के स्वामित्व में थीं – उनकी सहमति के बिना अवैध रूप से बेची गईं, जिससे पीड़ितों को काफी वित्तीय और कानूनी संकट का सामना करना पड़ा।

ईडी की जांच से पता चला है कि रोहन हरमलकर गोवा भूमि घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, जिसने कई संपत्तियों के बिक्री विलेखों में जालसाजी और हेरफेर की साजिश रची है। उसने वैध उत्तराधिकारियों का भी प्रतिरूपण किया है, नकली सरकारी स्टाम्प बनाए हैं और अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने के लिए इन जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल असली के रूप में किया है।

इससे पहले, 24.04.2025 को, ईडी द्वारा किए गए तलाशी अभियानों में भारी मात्रा में आपत्तिजनक संपत्ति दस्तावेज पाए गए, जिनसे भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर और गोवा के बारदेज़ तालुका में अंजुना, अरपोरा और असगाओ जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में कई लाख वर्ग मीटर में फैले उच्च मूल्य के भूखंडों के धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण का संकेत मिला।

तलाशी के समय और तलाशी के बाद की जांच के दौरान रोहन हरमलकर फरार रहा। बाद में उसे 03.06.2025 को गिरफ्तार कर लिया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।